

-negd-

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SM¹.-SR (57)/2014

416

Dated: 22/06/2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-40-08 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, HP PWD, Suni District Shimla for Construction of link road to Village Chebri (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural in Tehsil.

It is further certified that:-


- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-40-08 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 19 annexure _____.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

FR



30
AM
22/06/15


(DINESH KUMAR HOTRA)
District Collector
Shimla District (H.P.)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Dinesh Malhotra, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 25-04-2015 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Pamlie forest area(s) 2-12-22 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-40-08 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 25-04-2015


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 25-04-2015 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI DINESH MALHOTRA, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri D.K. Rattan, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Shri Raman Sharma, Divisional Forest Officer, Shimla	Member
3. Shri K.R. Kaundal, Divisional Forest Officer, Theog	Member
4. Shri Parveen Thakur, IFS, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
5. Shri Ashok Chauhan, Divisional Forest Officer, Rohru	Member
6. Shri Amit Sharma, Divisional Forest Officer, Rampur	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (I.&O) welcomed all the members of the committee and a total 144 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Sub-Division Rampur:-

The following 56 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Rampur and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Lalsa to Lamba Nallah Khenashni road
2. C/o 22 KV Control Point at Khaneri
3. C/o RHHP 412 MW at Duttanagar
4. C/o Colony at Kasba Bazar Rampur
5. C/o Animal Husbandry building at Dharali
6. C/o Rajpura Darshal-Matalni road
7. C/o Nanan to Dharali road
8. C/o Govt. Sr. Sec. School building at Kinnoo
9. C/o Fire Station at Kumarsain
10. C/o Khalawan to Bankoti road
11. C/o Play ground at Jaguni
12. C/o PHC at Dharali
13. C/o Go-Sadan Nirath
14. C/o Go-Sadan Bajadhar
15. C/o Go-Sadan Kute
16. C/o Go-Sadan Lalsa
17. C/o Go-Sadan Ganvi
18. C/o Go-Sadan Badrash
19. C/o Go-Sadan Kumsu
20. C/o Go-Sadan Aghadhar
21. C/o Go-Sadan Sarpara
22. C/o Go-Sadan Uru
23. C/o Go-Sadan Khaneri
24. C/o Go-Sadan Khai

25. C/o Go-Sadan Darkali
26. C/o Go-Sadan Jogni
27. C/o Go-Sadan Khenauli
28. C/o Go-Sadan Kaiyāo
29. C/o Go-Sadan Molgi
30. C/o Go-Sadan Badhal
31. C/o Go-Sadan Dhadra
32. C/o Go-Sadan Munish
33. C/o Go-Sadan Keem
34. C/o Go-Sadan Ghan
35. C/o Go-Sadan Daran
36. C/o Go-Sadan Bhadril
37. C/o Go-Sadan Kalanti
38. C/o Go-Sadan Khamadi
39. C/o Go-Sadan Laharu
40. C/o Go-Sadan Majohali
41. C/o Go-Sadan Shakla
42. C/o Go-Sadan Chunja
43. C/o Go-Sadan Mohali
44. C/o Go-Sadan Manikanun
45. C/o Go-Sadan Kawalighat
46. C/o Go-Sadan Mundar
47. C/o Go-Sadan Khedala
48. C/o RCC Storage Tank at Dakolar
49. C/o A/H building at Radholi
50. C/o Panchayat Bhawan Radoli
51. C/o Patwar Khana Radoli
52. C/o Govt. Sr. Sec. School building at Radoli
53. C/o Transmission Line Kurpin-II 4.8 MW at Duttanagar
54. C/o Transmission Line Kurpin-II 4.8 MW at Badhawli
55. C/o Transmission Line Kurpin-II 4.8 MW at Khakrola
56. C/o Rajpura HEP 9.9 MW

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Rampur has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act.

Sub-Division Rohru:-

The following 80 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Rohru and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Link Road Balsa Pul to Barslidhar
2. C/o Tamshal to Jagori Nallah road
3. C/o Link road Bakholi -Magwani Nandla
4. C/o Link road Shalawat-Bali- Karetli
5. C/o Link road Chewadhar- Madanpuri via Badadhar
6. C/o Office-Cum-Store & Civil Structure of LWSS NC/PC Sheel
7. C/o --do-- GP Brall
8. C/o Chamaru-Jachali-Madhaik meet Kharapathar Patsari road
9. C/o Sewerage Scheme at Village Saraswati nagar
10. C/o 132 KV D/C Transmission line from Tangnu Romai HEP -66/132/220 KV P.S. Sunda
11. C/o Johota- Bantari road
12. C/o Chonri Seri-Chounri Link road
13. C/o Jhalta to Baulidhar road
14. C/o 22 KV Control Point at Kansakoti
15. C/o 22 KV D/C Trans line from Tangnu Romai-II to Andhra S/Stn.
16. C/o Dakhnewar Jubbal to Sitlighat road
17. C/o Sandasu to Telga road
18. C/o link road Mandal Jakhori, Pujarli, Ram Nagari, Birkoti
19. C/o motor road Sanghar to Hingori
20. C/o link road Jarla to Mundru
21. C/o Go-Sadan at Pujarli No.3
22. C/o Go-Sadan at Karasa
23. C/o Go-Sadan at Karchhari
24. C/o Go-Sadan at Ukali Mehandali
25. C/o Go-Sadan at Bhamnoli
26. C/o Go-Sadan at Munchhara
27. C/o Go-Sadan at Samoli
28. C/o Go-Sadan at Jagothi
29. C/o Go-Sadan at Summerkot
30. C/o Go-Sadan at Arhal
31. C/o Go-Sadan at Katlah
32. C/o Go-Sadan at Pujarli-4
33. C/o Go-Sadan at Khangteri
34. C/o Go-Sadan at Bhaloon
35. C/o Go-Sadan at Kadiwan
36. C/o Go-Sadan at Kuthari

37. C/o Go-Sadan at Kutara
38. C/o Go-Sadan at Bashla
39. C/o Go-Sadan at Lowerkoti
40. C/o Go-Sadan at Hanstari
41. C/o Go-Sadan at Anti
42. C/o Go-Sadan at Barthata
43. C/o Go-Sadan at Giltari
44. C/o Go-Sadan at Jhala
45. C/o Go-Sadan at Kathasu
46. C/o Go-Sadan at Kot Kaina
47. C/o Go-Sadan at Kuddu
48. C/o Go-Sadan at Mandhole
49. C/o Go-Sadan at Nandpur
50. C/o Go-Sadan at Pandranu
51. C/o Go-Sadan at Saraswati Nagar
52. C/o Go-Sadan at Thana
53. C/o Go-Sadan at Jhagan
54. C/o Go-Sadan at Badhal
55. C/o Go-Sadan at Jaipidi Mata
56. C/o Go-Sadan at Rawin
57. C/o Go-Sadan at Anti-II
58. C/o Go-Sadan at Dhakgaon
59. C/o Go-Sadan at Gaonsari
60. C/o Go-Sadan at Pekha
61. C/o Go-Sadan at Thana
62. C/o Go-Sadan at Dhagoli
63. C/o Go-Sadan at Kharshali
64. C/o Go-Sadan at Diudi Mayla
65. C/o Go-Sadan at Chirgaon
66. C/o Go-Sadan at Bamphar
67. C/o Go-Sadan at Todsai
68. C/o Go-Sadan at Masli
69. C/o Go-Sadan at Tikkari
70. C/o Go-Sadan at Sundha Bhonda
71. C/o Go-Sadan at Jangla
72. C/o Go-Sadan at Saribassa
73. C/o Go-Sadan at Ranol
74. C/o Go-Sadan at Shiladesh
75. C/o Go-Sadan at Diswani
76. C/o Go-Sadan at Rohal
77. C/o Go-Sadan at Kulgaon

78. C/o Go-Sadan at Tangnu-Janglikh
79. C/o Go-Sadan at Khabal
80. C/o Go-Sadan at Sindasli

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Rohru has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Rohru, District Shimla, H.P.

Sub-Division Shimla-Rural

The following 07 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Rural and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o LIS Mandhrech Annu Ratia (Kandaula)
2. C/o IPH Rest house at Dharogra
3. C/o JE residence-cum- complaint cell at Jalog
4. C/o Animal Husbandry at Navi
5. C/o PHC Ghanatti
6. C/o Bus Stand at Sunni
7. C/o Link road to Village Chebri

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Rural has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Rural, District Shimla.

Sub-Division Shimla-Urban


Only one case has been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Urban and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Ambulance road from Aparti Bhawan to Dev nagar

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla Urban has recommended the case on the report/ recommendation of the Village level Forest Right

Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the case under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act.

The meeting ended with vote of thanks.



Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

0-40-08.

Annexure-I

(OFFICE OF THE SDO CIVIL), Shivuli R.
DISTRICT Shivuli (H.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Right(Act (FRA)2006.

A Meeting of the District level Committee Shivuli (R)
Sub Division, constituted under FRA,2006 was held under the
chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Sivan Sagar Negi SDO (Civil)-
Shivuli R. on 28/02/15 at 11:00 AM at Shivuli CR
(Place) in which the application(s) of the applicant of Assistant Engineer H.P.W.D.
Gram Sabha, claiming rights Khara forest area (s) under
FRA, 2006 duly processed and recommended by Khara Chabri Gram
Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District
Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of
following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission
to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	<u>Assistant Engineer</u>	<u>Khara Chabri</u>	<u>Area 0-40-08 Haad.</u>
2	<u>H.P.W.D.</u>	<u>Chabri</u>	<u>for Road P.M.G.S.Y.</u>

Claims of following applicants were not found in order hence rejected:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1			
2		<u>-NIL-</u>	

OR
As informed by ✓ Gram Sabha on application received claiming rights
in ✓ forest area.

Place: Shivuli
Date: 28/02/2015 SDO (Civil) Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.



कार्यालय ग्राम पंचायत चेबड़ी

विकास खण्ड बसन्तपुर, तह. सुन्नी, जिला शिमला (हि.प्र.)

आज दिनांक 07-02-2015 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की

मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री/ श्रीमती हेमलता शर्मा जी की

अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति 7/7 रही तथा निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव न. 16/2015

प्रतिलिपि

दिनांक 07/2/2015

अनापत्ती प्रस्ताव सड़क चेबड़ी 0/0 Km से 1/015 Km तक में कार्य करने बारे

प्रस्ताव पारित किया गया की लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल सुन्नी से पंचायत को दिनांक 9-1-2015 के पत्र संख्या 2714-2717 के संदर्भ में उपरोक्त सड़क जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वनी है उस में लोक निर्माण विभाग कोलार का जो कार्य करना चाहते है उसमें पंचायत को कोई खर्च नहीं है व साथ ही प्रस्ताव के साथ वन अधीकार आवेदियों को कुछ स्तर पर वनी है के अनापत्ती प्रमाण पत्र भी अखण्ड सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग सुन्नी जिला डिब्रुवा जी की सेवमें कर्माजी (आवश्यक कार्यवही) हेतु प्रेषित किया जाता है।
सर्व वाच्य हुआ।

पुनरावेव किया जाता है कि नयाव बुलावेके कारण के साथ व करवत है।

हेमलता शर्मा

7-2-2015

प्रधान



ग्राम पंचायत चेबड़ी

वि०ख० बसन्तपुर, शिमला, हि०प्र०

सचिव

07/2/2015

अनापत्ति प्रमाण पत्र

1.2.2015

विषय:- प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत, निर्मित संपर्क सड़क-चेबड़ी ^{कि.मी. 0/0 में} में तारकौल विद्युत्त पक्का करने से संबंधित।
1/015

द्वारा: वन अधिकार समिति रवैरा

आज दिनांक 1.2.2015 को वन अधिकार समिति रवैरा की बैठक, अध्यक्ष श्री तेजसिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से यह मांग रखी गई कि संपर्क सड़क, चेबड़ी, जिसका निर्माण प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष पहले हुआ है, इसे पक्का किया जाये। इस कार्य के लिये सब सहमत हैं। अतः लोक निर्माण विभाग सुन्नी की सेवा में, संपर्क सड़क चेबड़ी को पक्का करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है।

• श्री जयसिंह

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति रवैरा
डा० रवैरा, तहसील सुन्नी
जिला शिमला 171018 हि.प्र.

आज दिनांक 7.3.2014 को, उप ग्राम समा खैरा की बैंक ग्राम पंचायत प्रधान श्री मती हैमलता वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। इस बैंक का उद्देश्य 'वन अधिकार समिति खैरा' के गठन करने से संबंधित था। अतः सर्व संमति से इस समिति का गठन किया गया।

कार्यकारिणी :-

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	गाँव	श्रेणी	कार्यकारिणी
1	श्री तेजसिंह	पुत्र श्री प्रीतम	खैरा	सामान्य	प्रधान
2	श्री हुक्मीराम	श्री श्री सोहन लाल	श्री	श्री	साचिव
3	श्री मती सीमा पत्नी	श्री गुरदास	श्री	BPL	सदस्य
4	श्री प्रीतम पुत्र	श्री किशन	श्री	BPL	श्री
5	श्री महेन्द्रलाल	श्री श्री पद्मराम	श्री	सामान्य	श्री
6	श्री गिरचारीलाल	श्री श्री अनंतराम	श्री	श्री	श्री
7	श्री दीपचंद	श्री श्री गंगादास	श्री	श्री	श्री
8	श्री टेकचंद	श्री श्री सरनपत	श्री	BPL	श्री
9	श्री मती चंपादेवी पत्नी	श्री श्री भोफिलाल	श्री	BPL	श्री
10	श्री सुनीतादेवी	श्री श्री जितेंद्रराज	श्री	सामान्य	श्री
11	श्री पुष्पा देवी	श्री श्री दुनिचंद	श्री	BPL	श्री
12	श्री हैमलता	श्री श्री विद्यासागर	श्री	BPL	श्री
13	श्री अंजना	श्री श्री श्यामसुंदर	श्री	BPL	श्री
14	श्री अचला	श्री श्री जयकृष्ण	श्री	सामान्य	श्री
15	श्री सरिता	श्री श्री गोपालकृष्ण	श्री	श्री	श्री

अतः सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग सुन्नी की सेवा में कार्य कारिणी की प्रति पेशित की जाती है।



प्रधान
दिनांक हैमलता वर्मा
7.3.2014.

तेजसिंह

प्रधान/अध्यक्ष

संपर्क नंबर 94186 66586

Land Line. 93185 30005

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा शैश
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 4

दिनांक 01-02-015

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा शैश की बैठक आज दिनांक 01-02-015
को 11.00 बजे स्थान शैश में श्री/श्रीमति तेज सिंह
की अध्यक्षता में की गई जिसमें शैश गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U-21 शैश
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लोको निगम विभाग द्वारा सम्पत्ति लड़क चेतनी (Pm.451)
के निर्माण के लिए 0-12-51 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>लोको निगम विभाग</u>	<u>U-21 शैश</u>	<u>0-12-51 है.</u>
2	<u>अमोल कुन्नी</u>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>लोको निगम विभाग</u>	<u>अमोल कुन्नी</u>	<u>का दावा सही पाया गया।</u>
2			

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान शैश
दिनांक 01-02-015

तेज सिंह
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा शैश सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व ग्राम

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है। सम्पत्ति लड़क चेतनी

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा...
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक...
०१-१२-२०१५

प्रस्ताव संख्या... ५

ग्राम सभा... की बैठक आज दिनांक... को... बजे स्थान... में श्री/ श्रीमती... की अध्यक्षता में की गई (जिसमें... गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत... जंगल /वन क्षेत्र में (जिसमें... विभाग द्वारा... के निर्माण के लिए... हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वाशियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पाठों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्र० संख्या पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1	जोड़ निम्बि विन्नाग अ भव्ज कुन्नी	U-21 जैरा	0-12-51 हेक्टर
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से लिखित पाठों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र० संख्या पात्र गांव वासी का नाम

1	जोड़ निम्बि विन्नाग अ भव्ज कुन्नी का दावा सही पाया गया.
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करती है।

या/

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार... जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान...
दिनांक... ०१-१२-२०१५

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...
वन अधिकार समिति
राजस्व ग्राम

- ग्रामवासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल से वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सम्पत्ति सड़क के निर्माण हेतु

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा.....उरेश.....
विकास खण्ड बिस्तपुर.....जिला शिवनारायण.....(हि 00)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 01-02-2015

गणपूर्ति पूरी..... प्रस्ताव संख्या
विषय हि.उ.ए. लोक निर्माण विभाग/ संस्था को सड़क सडा चेवरी के
निर्माण हेतु 0-12-51 जंगल /वन क्षेत्र में
प्रस्तावित.....0-12-51..... हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा उरेश.....की बैठक आज दिनांक 01-02-2015 को.....11-50 बजे
स्थान उरेश.....की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग/ संस्था को सड़क सडा चेवरी
के निर्माण हेतु..... जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....0-12-51.....हेक्टेयर वन भूमि
के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावे के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त नियम के अन्तर्गत के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित 0-12-51.....हेक्टेयर वन भूमि का सड़क सडा चेवरी निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा उरेश.....की सहमति दी जाती है।

स्थान उरेश.....
दिनांक 01-02-2015

लजिाहि

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा उरेश लिखित
वन अधिकार समिति
शिवनारायण


अनापत्ति प्रमाण पत्र

1.2.2015

विषय:- प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत,
निर्मित 'संपर्क सड़क-चैबडी कि.मी 0/0 से 1/05
को पक्का करने से संबंधित।

द्वारा :- वन अधिकार समिति-चैबडी


आज दिनांक 1.2.2015 को वन अधिकार
समिति-चैबडी की बैठक अध्यक्ष श्री नरेश कुमार
की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से यह
मांग रखी गई कि संपर्क सड़क-चैबडी, जिसका
निर्माण 5 वर्ष पहले हुआ है, इसे पक्का किया
जाये। इस कार्य के लिये सभी सहमत हैं।
अतः लोक निर्माण विभाग सुन्नी की सेवा में
संपर्क सड़क पक्का करने के लिये अनापत्ति
प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है।


अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
चैबडी

डा० रैरा, तहसील सुन्नी
जिला शिमला 171018 हि.प्र.

आज दिनांक 16.3.2014 को उप ग्राम समिति ^{चौबड़ी} की बैठक
ग्राम पंचायत प्रधान श्री मती हेमलता शर्मा की अध्यक्षता
में आरम्भ हुई। इस बैठक का उद्देश्य वन अधिकार समिति चौबड़ी
के गठन करने से संबंधित था। अतः सर्वसम्मति से इस
समिति का गठन किया गया।
कार्यकारिणी:-

- | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | प्रधान | श्री निरेश कुमार पुत्र | श्री शिवी राम | चौबड़ी | सामान्य |
| 2 | सचिव | श्री मती रीता देवी पत्नी | श्री बिहारी लाल | हरसोटी | B.P.L. |
| 3 | सदस्य | श्री कमलराज पुत्र | श्री कर्मसिंह | चौबड़ी | सामान्य |
| 4 | " | श्री दिनेश कुमार | " श्री चैतराम | " | " |
| 5 | " | श्री गुरुशराम | " श्री रजबीराम | " | " |
| 6 | " | श्री वासुदेव | " श्री मोतीराम | " | B.P.L. |
| 7 | " | श्री मती शीला देवी पत्नी | श्री कुंदन लाल | हरसोटी | B.P.L. |
| 8 | " | श्री मती उनीता | " श्री योगराज | चौबड़ी | B.P.L. |
| 9 | " | श्री कमलराज पुत्र | " गंगादास | " | सामान्य |
| 10 | " | " श्रीमराज | " " संतराम | " | B.P.L./अनु
जिला |
| 11 | " | " मती प्रभा देवी पत्नी | श्री गुरुदयाल | हरसोटी | सामान्य |
| 12 | " | श्री कैवलराम पुत्र | श्री टेकचंद | " | B.P.L. |
| 13 | " | श्री शीमाराम | " श्री मोतीराम | चौबड़ी | सामान्य |
| 14 | " | श्री दिनेश कुमार | " श्री निकाश | " | B.P.L. |
| 15 | " | श्री लीमिश पत्नी | श्री विद्या प्रकाश | " | B.P.L. |

अतः सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग सुन्नी की प्रधान 
सेवा में कार्यकारिणी की प्रति प्रेषित की वन अधिकार समिति चौबड़ी
जाती है।

डा० रवीश, तहसील सुन्नी
जिला शिमला 171018 हि.प्र.



प्रस्तावक: हेमलता शर्मा
दिनांक: 16.3.2014.

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 01-02-2015

प्रस्ताव संख्या.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.....की बैठक आज दिनांक 01-02-2015 को बजे
स्थानमें श्री/श्रीमती.....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....गांव की
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
.....जंगल/वनक्षेत्रमें (जिसमें.....विभाग
द्वारा.....के निर्माण के लिएहैक्टयर
वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों
पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के
उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पावों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

कं० संख्या	पाव गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	लोक निभवि विन्हाज उप भण्डल दुनी	U-21 शैश	0-21-94-80
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इस की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पावों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

कं० संख्या	पाव गांव वासी का नाम
1	लोक निभवि विन्हाज उप भण्डल दुनी का दावा सही पाया गया
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U-21-शैश जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....
दिनांक 01-02-2015

अधीकृत
ग्राम सभा
राजशिव ग्राम

- ग्रामवासी ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र जंगल से वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
ग्राम सभा देवडी
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ५

दिनांक 01-02-015

ग्राम सभा देवडी की बैठक आज दिनांक 01-02-015 को 11:00 बजे स्थान देवडी में श्री / श्रीमति नेरेश उमर की अध्यक्षता में की गई जिसमें देवडी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U-21 खैरा जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा अम्पक सड़क देवडी के निर्माण के लिए 0-21-94 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>लोक निर्माण विभाग</u>	<u>U-21 खैरा</u>	<u>0-21-94 है.</u>
2	<u>अप अण्डल कुन्ने</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>लोक निर्माण विभाग</u>	<u>अप अण्डल कुन्ने</u>	<u>का दावा सही पाया गया</u>
2			

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-21 खैरा जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान देवडी
दिनांक 01-02-015

अधीकृत/हस्ताक्षरकर्ता सचिव
ग्राम सभा देवडी
वन अधिकार समिति
संपर्क नंबर सी५५३ ५६६४

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है। अम्पक सड़क देवडी के निर्माण हेतु।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा.....देवी.....
विकास खण्ड नानापुर जिला प्रियाग (हि० ५०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक ०१-०२-०१५

गणपूर्ति पूरी प्रस्ताव संख्या
विषय हि० ५० नानापुर निवासी विभाग/संस्था को सर्वेक्षण एस०के० देवी के
निर्माण हेतु ५-२१ देवी जंगल/वन क्षेत्र में
प्रस्तावित ०-२१-१५ हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा देवी की बैठक आज दिनांक ०१-०२-०१५ को ११-०२ बजे
स्थान देवी की गई जिसमें नानापुर निवासी विभाग/संस्था को सर्वेक्षण एस०के० देवी
के निर्माण हेतु ५-२१ देवी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ०-२१-१५ हेक्टेयर वन भूमि
के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर वर्वा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी वर्वा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त नियम के अन्तर्गत के दावों के निपटारे संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और ती है तथा प्रस्तावित ०-२१-१५ हेक्टेयर वन भूमि का सर्वेक्षण एस०के० देवी निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की बैठक द्वारा सर्व निवासी की सहमति दी जाती है।

स्थान देवी
दिनांक ०१-०२-०१५

अभीकृत इस्तादारकर्ता
ग्राम सभा ब्रजदेवी देवी सचिव
वन अधिकार समिति
राजसब नाम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

1.2.2015

विषय:- प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत, निर्मित 'संपर्क सड़क चौबड़ी कि.मी. 0/0 से 1/015 को पक्का करने से संबंधित।

द्वारा:- वन अधिकार समिति चौकी

आज दिनांक 1.2.2015 को वन अधिकार समिति चौकी की बैठक, अध्यक्ष श्री मीकमराम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से यह मांग बरकी गई कि 'संपर्क सड़क चौबड़ी' जिसका निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष पहले हुआ है इसे पक्का किया जाये। इस कार्य के लिये सभी सहमत हैं अतः लोक निर्माण विभाग सुन्नी की सेवा में, संपर्क सड़क चौबड़ी को पक्का करने के लिये, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है।

श्रीकांत राय

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति
चौकी

डा. रवींद्र, त. सुन्नी

जिला शिमला 171008 हि.प्र.

आज दिनांक 15.3.2014 को, उप ग्राम सभा चौकी की बैंक
ग्राम पंचायत प्रधान श्री मती हेमलता शर्मा की अध्यक्षता में
आरम्भ हुई। इस बैंक का उद्देश्य वन अधिकार समिति चौकी
के गठन करने से संबंधित था। सर्वसम्मति से इस समिति
का गठन किया गया।

कार्यकारिणी :-

क्रम	नाम	पिता/पतिकानाम	गाँव	श्रेणी	कार्यकारिणी
1	श्री श्रीकमराम	पुत्रजी इसरिया	चौकी	BPL	प्रधान
2	श्री जितेन्द्र	श्री अनंतराम	श्री	सामान्य	साचिव
3	श्री लायकराम	श्री पुरनदास	श्री	श्री	सदस्य
4	श्री सुरेशकुमार	श्री कमलदास	श्री	श्री	श्री
5	श्री अश्वनी	श्री लालकराम	श्री	श्री	श्री
6	श्री मती बालादेवी	श्री रमेशकुमार	श्री	BPL	श्री
7	श्री फमा देवी	श्री नरेशकुमार	श्री	सामान्य	श्री
8	श्री व्यासादेवी	श्री कौलराम	श्री	श्री	श्री
9	श्री मीरुवती	श्री अमरचंद	श्री	श्री	श्री
10	श्री रेखाभूदेवी	श्री पुरनदास	श्री	BPL/अनु	श्री

अतः सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग सुन्ती की
सेवा में वन अधिकार समिति चौकी की कार्यकारिणी की प्रति
प्रेषित की जाती है।



हस्ताक्षर: हेमलता शर्मा
दिनांक: 15.3.2014.

श्रीकमराम
मौ नंबर 94592
16287
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति चौकी
डा. रवेश, तहसील सुन्ती
जिला शिमला 171018 हि.प.

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा...
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक. 01-02-2015

प्रस्ताव संख्या... 4,....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा... की बैठक आज दिनांक 01-02-2015 को 11-00 बजे स्थान... में श्री/श्रीमती... की अध्यक्षता में की गई जिसमें... गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत... जंगल/वनक्षेत्रमें (जिसमें... विभाग द्वारा... के निर्माण के लिए 0.06-16 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पाठों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्र० संख्या	पाठ गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	श्रीक निमलि विद्याल	U-21 डोंरा	0-06-16 है.
2	श्री अण्डल सुन्ने		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इस की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पाठों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र० संख्या	पाठ गांव वासी का नाम
1	श्रीक निमलि विद्याल श्री अण्डल सुन्ने का दावा सही पाया गया।
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

01-02-2015 जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान...
दिनांक 01-02-2015

श्रीक प्राम 94592 16287
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...
वन अधिकार समिति

- 1 ग्रामवासी ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र जंगल से वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- 2 प्रोजेक्ट कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है। सम्पत्ति के दावे के निमित्त हेतु।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा.....दी की.....
विकास खण्ड साहूवा जिला झिबला (हि 40)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 01-02-015

गणपूर्ति.....पूरी..... प्रस्ताव संख्या
विषय 1000 वर्ग मीटर विभाग/संस्था को समिति साहूवा के
निर्माण हेतु 0-21-वेरा जंगल/वन क्षेत्र में
प्रस्तावित 0-06-16 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....दी की.....की बैठक आज दिनांक 01-02-015 को 11:00 बजे
स्थान दी की की गई जिसमें लोक निवासी विभाग/संस्था को समिति साहूवा-वेरा
के निर्माण हेतु 0-21-वेरा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-06-16 हेक्टेयर वन भूमि
के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जान पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त नियम के अन्तर्गत के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित 0-06-16 हेक्टेयर वन भूमि का समिति साहूवा निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की बैठक द्वारा समिति की सहमति दी जाती है।

स्थान.....दी की
दिनांक 01-02-015

• राजेश्वर प्राम
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम साहूवा-वेरा समिति
वन अधिकार समिति
राजेश्वर प्राम